भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *160

29 जुलाई, 2026 के लिए प्रश्न

पंजाब में उपलब्ध खाद्यान्न भंडारण क्षमता

***160 श्री मलविंदर सिंह कंग:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पंजाब राज्य में खरीदे गए गेहूं और धान के लिए उपलब्ध भंडारण क्षमता की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस राज्य में भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेंसियों के पास कुल कितनी भंडारण क्षमता उपलब्ध है;

(ग) क्या उक्त राज्य में भंडारण सुविधाएं पर्याप्त नहीं होने के कारण खाद्यान्न खुले में पड़े रह गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य में भंडारण अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा शिक्षा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

लोक सभा में दिनांक 29 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. *160 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): जी हां, भंडारण क्षमता की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है, विशेष रूप से प्रत्येक रबी विपणन मौसम तथा खरीफ विपणन मौसम के प्रारंभ में।

भंडारण आवश्यकता के आकलन के आधार पर, भंडारण क्षमता किराए पर लेने तथा खाद्यान्न स्टॉक के संचलन सहित भंडारण व्यवस्थाएँ की जाती हैं, ताकि भंडारण का कुशल प्रबंधन और खरीद प्रचालन सुचारु रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

(ख): पंजाब राज्य में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता 168.22 लाख टन है, जिसमें 151.19 लाख टन कवर्ड भंडारण क्षमता (स्वामित्व और किराये पर) और 17.03 लाख टन कवर और प्लिंथ (सीएपी) भंडारण क्षमता (स्वामित्व और किराये पर) शामिल हैं।

राज्य एजेंसियों की कुल भंडारण क्षमता 88.30 लाख टन है, जिसमें 25.59 लाख टन की कवर्ड भंडारण क्षमता और 62.71 लाख टन की सीएपी भंडारण क्षमता शामिल हैं।

इस प्रकार, पंजाब राज्य में एफसीआई और राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता 256.52 लाख टन है।

(ग): जी नहीं, खुली खरीद प्रक्रिया के कारण, जिससे राज्य में स्टॉक का उच्च स्तर बना रहता है, कुछ स्टॉक को वैज्ञानिक भंडारण प्रणाली अर्थात् कवर्ड एंड प्लिंथ (सीएपी) के अंतर्गत भंडारित किया जाता है। खाद्यान्न स्टॉक की गुणवत्ता, सुरक्षा और उचित परिरक्षण सुनिश्चित करने के लिए, विस्तृत सीएपी परिरक्षण पद्धतियों के अनुसार सभी निर्धारित परिरक्षण उपायों का कड़ाई से पालन किया जाता है।

(घ): भारत सरकार ने पंजाब राज्य सहित देश में भंडारण अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित वैज्ञानिक पहल की हैं:-

स्मार्ट भांडागार परियोजना : इस परियोजना के तहत, पारंपरिक भांडागारों को स्मार्ट भांडागारों में रूपांतरित किया गया है, जिन्हें धुआँ संवेदक (स्मोक सेंसर), अग्नि संवेदक (फायर सेंसर), द्वार-खुलने का संवेदक (गेट ओपनिंग सेंसर) आदि विभिन्न संवेदकों से सुसज्जित किया गया है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), फॉस्फीन स्तर, अग्नि जोखिम, आर्द्रता, अनधिकृत प्रवेश तथा तापमान जैसे प्रमुख मापदंडों की वास्तविक समय आधार पर निगरानी की जा सके।

...2/-

स्मार्ट भांडागार सभी डिपुओं में वास्तविक समय पर दृश्यता, समयबद्ध हस्तक्षेप, डाटा-आधारित निर्णय-निर्माण तथा मानकीकृत प्रचालनों को सुनिश्चित करता है, जिससे खाद्यान्न के सुरक्षित, संरक्षित एवं दक्ष भंडारण तथा वितरण को सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है।

डिपो दर्पण पोर्टल : डिपो दर्पण पोर्टल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्यान्न भंडारण डिपो एवं भांडागारों की निगरानी, पारदर्शिता तथा दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एक डिजिटल मंच है।

डिपो दर्पण की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:-

क. डिपो/भांडागार प्रबंधक, अवसंरचना तथा प्रचालनों से संबंधित जियो-टैग्ड डाटा अपलोड करके अपने डिपो की अवसंरचना का आकलन करते हैं।
ख. पोर्टल में एक समेकित स्कोरिंग प्रणाली का उपयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत डिपुओं का मूल्यांकन दो व्यापक श्रेणियों: अवसंरचना तथा प्रचालनात्मक मापदंडों के आधार पर किया जाता है।
ग. स्कोर के आधार पर, डिपुओं को ग्रेड किया जाता है।
घ. डाटा का सत्यापन, प्रक्रिया में ही अंतर्निहित है, जिसमें 100% पर्यवेक्षी अधिकारी द्वारा सत्यापन शामिल है।
ङ. डिपो दर्पण पोर्टल के तहत एफसीआई के स्वामित्व वाले और किराए पर लिए गए सभी भांडागारों को कवर किया गया है।

स्टील साइलोज - खाद्यान्नों का वैज्ञानिक रूप से भंडारण : साइलो भंडारण, खाद्यान्न के थोक भंडारण की एक अत्यधिक यंत्रीकृत एवं आधुनिक पद्धति है, जो खाद्यान्न के बेहतर परिरक्षण तथा उनकी शेल्फ लाइफ में वृद्धि सुनिश्चित करती है। इसके लिए पारंपरिक भंडारण पद्धतियों की तुलना में केवल एक-तिहाई भूमि की आवश्यकता होती है, जूट की बोरियों से संबंधित लागत सहित पारगमन एवं उपरिव्यय लागतों को कम करता है, कार्यबल की आवश्यकता में कमी लाता है तथा वैज्ञानिक हैंडलिंग एवं भंडारण पद्धतियों के माध्यम से गुणवत्ता की निरंतरता सुनिश्चित करता है।

दिनांक 01.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार, देश में विभिन्न पद्धतियों के अंतर्गत 76 स्थानों पर 39 लाख टन की कुल क्षमता वाले स्टील साइलोज निर्मित एवं प्रचालन में हैं जिनमें से, पंजाब राज्य में 13 स्थानों पर 9.25 लाख टन क्षमता प्रचालन में हैं।

******